(7) Statement No. III Hundred Thirty-seventh Session, 1986. [Placed in Library. *See* No. LT 3040/86]

(8) Statement No. II Hundred Thirty-eighth Session, 1986. [Placed in Library. *See* No. LT-3041/86]

STATEMENT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Statement showing action taken by Government on the recommendations contained in Seventh and Tenth Reports of the Railway Convention Committee (1980) on Rate of Dividend for the years 1980-81 to 1983-84 and other Ancillary Matters and for 1984-85 respectively.

REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Fifty-first Report of the Public Accounts Committee relating to Review on the working of the Controllerate of Procurement.

TOUR REPORTS OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Study Tours of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(i) Report of the Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Bombay, Goa, Bangalore, Ootacamund, Coimbatore and Madras during June-July, 1986.

(ii) Report of the Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Jaipur, Mount Abu, Ahmedabad, Bombay and Srinagar during June-July, 1986.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that I have received a letter, dated the 29th July, 1986. from Shri Ramkrishna Mazumder stating that he was operated upon on doctors' advice and he would be unable to attend the current Session of the Rajya Sabha. He has accordingly requested for grant of leave of absence from all the sittings of the Rajya Sabha during its 139th Session.

Is it the pleasure tf the House that permission be granted to Shri Ramkrishna Mazumder for remaining absent from all the meetings of the House during the current Session?

(No Hon. Member dissented).

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): Sir, I beg to move the following motion:

That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the unexpired portion of the term of the Committee vice Miss Saroj Khaparde ceased to be a member of the Committee on her appointment as a

[Shri Sitaram Kesri]

Minister of State and do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to serve on the said Committee.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Special mentions.

REFERENCE TO THE NEED TO PERMIT STUDENTS UNDER ADULT EDUCATION PROGRAMME TO APPEAR FOR THE TENTH CLASS EAMINATIONS

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : परम आदरणीय सभापति महोदय, स्पेशल मेंशन के मांध्यम से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली प्रौढ़ शिक्षा से पुरानी शिक्षा नीति में छात्र एवं छात्राओं को जो सुविधाएं दी गयी थीं और नयी शिक्षा नीति में क्या सुविधाएं दी जा रही है और दी जानी चाहिएं जिससे देश के हजारों छात्र एवं छात्राओं का भविष्य ही नहीं बल्कि देश का वर्तमान भी संवरेगा इस पर में रोशनी डालना चाहूंगी ।

मान्यवर, हम शिक्षा के माध्यम से, स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने देश के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं लेकिन प्रौढ़ शिक्षा नीति के अन्तर्गत इसके जरिये हम देश के वर्तमान नागरिकों के जीवन को संवारते हैं । प्रौढ़ शिक्षा नीति का अर्थ सिर्फ निरक्षर को साक्षर बनाना ही नहीं है बल्कि पुरानी शिक्षा नीति में हम प्राइमरी उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को जिनकी आयु 25 और 28 वर्ष की हो जाती है उनको डाइरेक्ट हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देते थे । अब पुरानी शिक्षा नीति जो खास तौर से मध्य प्रदेश में अब केवल दो वर्षों के लिए ही लागू रखी गई है, उसमें केवल अनुत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को ही स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने दिया जाएगा ।

मेरा शासन से अनुरोध है कि उसमें दो वर्षों के लिए और भी प्रौढ़ छात्र एवं छात्राओं को हायर सैकण्ड्री में सम्मिलित होने की पात्रता दी जाए ताकि प्रौढ़ शिक्षा से जो केवल स्वाध्यायी ही परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है और पुरानी शिक्षा नीति में केवल पांच विषयों में ही परीक्षा ली जाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा दो वर्षों के लिए और पुरानी शिक्षा नीति में लागू की जाए जिससे प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत बैठने वाले छात्र एवं छात्राएं जिनका बेस प्राइमरी ही लिया गया हैं और जिनको अंग्रेजी, गणित, साइंस की मालूमात नहीं होती, कम से हायर सैकेण्ड्री तो उत्तीर्ण करके अपना जीवन संवार सकते हैं । शिक्षा की कमी से जिन छात्राओं की शादी ब्याह में बाधायें आती है, उनका जीवन कम से कम मैट्रिक पास करने पर संवर जायेगा और छात्र अपने और अपने परिवार का सहारा बन जायेगा । इसलिए दो वर्षों तक प्रौढ़ शिक्षा की पुरानी शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए । इससे हमारा शासन हजारों छात्र एवं छात्राओं की जिंदगी सुधार सकता है ।

कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है ? आदमी एक सहारा है, खुदा देता है । प्रौढ़ शिक्षा की नीति से हजारों छात्र एवं छात्राओं का जीवन संवारने में हम सक्षम हो सकते हैं ।

नयी शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश में केवल छात्राओं को ही प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत बैठने की सहूलीयत दसवीं बोर्ड में दी गई हैं । मेरा शासन से अनुरोध है कि छात्रों को भी 25 वर्ष की उम्र ही नहीं, जो कि पुरानी शिक्षा नीति में पच्चीस वर्ष उम्र का लिमिटेशन रखा गया था, (समय की घंटी) बल्कि अब में चाहती हूं कि जब वोट देने के लिए इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वोट देने की परमिशन उनको मिलती है, तब वोट देने की परमिशन के अनुसार ही इक्कीस वर्ष की आयु से उनको प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत दसवीं बोर्ड में बैठने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

इस तरह एक शेर में कहूंगी —

"इल्मो अदब से दामन भर जाएं...